यालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0 न0:– 115 / 2019 तारीखरजू:– 24-9-19

उनवानः– रामअवतार बनाम राधेश्याम वगै0

दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा धारा 188 आर.टी.एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम	
24-9-19	वादी की और से श्री मदन मोहन शर्मा एडवोकेट ने दावा बावत स्थाई निषेधाज्ञा धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 07.10.2019 को पेश हो। उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	4770-71 24-9-19
7.10.19	बार की ओरसे कार्य स्थगन रखा गया है प्रतिवादी के सम्मन बाद तामील शामिल किये। आईन्दा दिनांक 30.10.19 को पेश हो।	
30.10.19	वादी वकील उप०। प्रतिवादी नं. 2 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं है उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी नं. 1 की ओरसे श्री लाखन लाल मीना Adv. ने मेमो पेश किया। वकालतनामा व जवाब पेश करने दि० 31.10.19 को पेश हो।	
31.10.19	वादी वकील उप०। प्रतिवादी नं. 1 की ओरसे कोई भी उपस्थित नहीं है उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वादी साक्ष्य पेश करने दिनांक 26.11.19 को पेश हो।	
26.11.19	पत्रावली पेश हुई। एड० मनोज कुमार शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र 09 R 7, 151 CPC पेश किया। प्रति वकील वादी को दिलवाई गई। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। न्यायहित में प्रार्थना पत्र 09 R 7 सीपीसी स्वीकार किया जाता है व दिनांक 31.10.19 को	

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभ

दिनांक	फर्द अहकाम
10/9/21	वकील वादी ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिसमें उभय पक्षकरान में राजीनामा होना जाहिर करते हुए। पत्रावली को तारीख पेशी 15.9.21 से तलब कर आज ही राजीनामा के आधार पर मुकदमे को निस्तारण कर खारीज फरमाने की प्रार्थना की है। एवं वकील प्रतिवादी ने एक प्रार्थना पत्र बावत पत्रावली को तारीख पेशी 15.9.21 से आज ही तलब कर - राजीनामा के आधार पर लोक अदालत की भावना से अपने काउन्टर क्लेम को खारीज करने की प्रार्थना की है। जिस पर पत्रावली को तारीख पेशी 15.9.21 से आज ही तलब कर उक्त प्रार्थना पत्रों का एवं पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान अपने वादपत्र व काउन्टर क्लेम को लोक अदालत की भावना को राजीनामा के आधार पर खारिज कराने चाहते है। अत: वादी का दावा व प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम उभयपक्षकारान में राजीनामा हो जाने से एवं वादी एवं प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र में खारिज किये जाने की प्रार्थना होने से लोक अदालत की भावना से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
[signature] [signature]	[signature] 10/9/21